सं.-एसटीके/टीआरएनएस/______/20.......-बिक्री

<u>फिल्म अंश(फुटेज) की आपूर्ति हेतु आवेदन प्रपत्र</u>

हर एक प्रोडक्शन के अंश(फुटेज) हेतु अलग से अर्जी/मांग प्रपत्र का उपयोग करें

प्रेषक:- दिनांक ....

____

____

____

____

जीएसटी क्र.________________________________

दूरध्वनी क्र./मोबाइल क्र. .... ई-मेल आईडी ....

सेवा में
महानिदेशक,
फिल्म प्रभाग,
सूचना और प्रसारण मंत्रालय,
भारत सरकार, 24-डॉ.जी. देशमुख मार्ग,
<u>मुंबई-400 026.</u>

महोदय,

अधोहस्ताक्षारित फिल्म प्रभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय से .... प्रारूप में निम्मान्कित अंश(फुटेज) खरीद करना चाहता हूँ ।

+
अंश (फुटेज) का विवरण +
(कृपया समय कोड के साथ +
एफ.डी. फिल्म का विवरण जोड़े) +
+
+

उपर्युक्त वर्णित अंश .... शीर्षक में उपयोग के लिये अपेक्षित है, यह भारत/विदेश में निर्माण किये गये एक वृत्तचित्र/लघुफिल्म/फ़ीचर फिल्म/दूरदर्शन धारावाहिक/टेली-फिल्म/एड-फिल्म/कॉर्पोरेट फिल्म/दूरदर्शन समाचार कार्यक्रम अन्य है (कृपया विर्निदिष्ट करें) ।

हम उपर्युक्त वर्णित निर्माण के अलावा किसी अन्य निर्माण में इस फुटेज का उपयोग नहीं करने से सहमत है ।

हमने फुटेज की आपूर्ति और उपयोग के संबंध में संलग्न प्रपत्र “ए” में वर्णित शर्तो को पढ़ा और समझा है तथा हम इन शर्तो का पालन करने के लिए तैयार है । संलग्न प्रपत्र “बी” में उल्लिखित रॉयल्टी किमत हमें स्वीकार्य है, तथा उक्त शर्तो की स्वीकृति निम्नांकित हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दर्शाया गया है ।

हम इस फिल्म के निर्माण को पूरा करने में अपेक्षित अंश की आपूर्ति के समर्थन में क्रेडिट शीर्षक में फिल्म प्रभाग का उचित आभार व्यक्त करेंगे ।

हस्ताक्षर

आवेदक के हस्ताक्षर (ड़े अक्षरोंब में)

<u>प्रपत्र-ए</u>

<u>फिल्म प्रभाग, भारत सरकार द्वारा अभिलेखागार फिल्म अंश(फुटेज) की आपूर्ति हेतु शर्ते</u>

अभिलेखागार फुटेज भारत के राष्ट्रपति की ओर से (इसके आगे फिल्म प्रभाग कहा जायेगा) अंश(फुटेज) के उद्देश्य से निर्धारित हस्ताक्षरित आवेदन (दो प्रतियों में) प्राप्त होने पर ही आपूर्ति की जाएगी ।

02. (क) अंश(फुटेज) के लिए न्यूनतम आदेश 20 सेकंद ।
(ख) फिल्मों को देखने के बाद समय कोड विधिवत रूप से लाइब्रेरियन(फिल्म्स) द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद बिक्री अनुभाग के पास जमा किया जाना चाहिए ।
(ग) अंश(फुटेज) के स्थानान्तरण हेतु आवेदक द्वारा खाली हार्ड डिस्क लाया जाना चाहिए ।
(घ) स्थानान्तरण के लिए लाइब्रेरी शुल्क आवेदक द्वारा वहन किया जायेगा ।
(ड) अंश(फुटेज) के स्थानान्तरण के बाद आवेदक को लेटर हेड पर लिखकर देना होगा कि उनके द्वारा खरीद किया गया .... अंश(फुटेज) (ध्वनि के साथ/बिना ध्वनि के) है तथा यह केवल एक बार उपयोग किया जायेगा ।
(च) अंश(फुटेज) के चयन के बाद किसी कारण से यदि आवेदक आदेश को निरस्त करना चाहता है तो उन्हें उनके लेटर हेड पर वैद्य कारण दिखाते हुए पत्र देना चाहिए ।

03. अभिलेखागार अंश(फुटेज) उनके द्वारा नेफ्ट/आरटीजीएस या पिओएस द्वारा अग्रीम भुगतान होने पर ही अंश(फुटेज) स्थानान्तरण किया जायेगा ।

04. महानिदेशक, फिल्म प्रभाग को किसी आवेदक द्वारा अपेक्षित अंश(फुटेज) को बिना कोई कारण बताए इंकार करने का अधिकार सुरक्षित है ।

05. अंश(फुटेज) के कॉपीराइट फिल्म प्रभाग में निहित है । आपूर्ति किया गया फुटेज आवेदक द्वारा उनके आवेदन में वर्णित फिल्म/कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किया जायेगा । फुटेज को नहीं बेचा/उधार/स्थानांतरित/निपटान किया जाय या किसी भी रीती से किसी अन्य फिल्म/कार्यक्रम हेतु उपयोग नहीं किया जाएगा ।

06. एक बार आपूर्ति किया गया फुटेज किसी भी हालत में न तो फिल्म प्रभाग द्वारा वापस लिया जायेगा और न इसकी किमत वापस की जाएगी । जहां फुटेज के लिए आवेदक द्वारा आदेश दिया गया है परन्तु डिलीवरी नहीं ली गई, तो भी कीमत वापस नहीं की जाएगी ।

07. फुटेज समय-समय पर निर्धारित दरों पर आपूर्ति किया जायेगा ।

08. फिल्म प्रभाग को कोई कारण बताए इसे परिवर्तन, सुधार करने/बदलने का अधिकार सुरक्षित है ।

09. फिल्म प्रभाग किसी अन्य व्यक्ति(यों) को सामान फुटेज देने के लिए स्वतंत्र है तथा किसी आवेदक को फुटेज की आपूर्ति से उन्हें यह विशिष्ट अधिकार नहीं प्रदान किया गया है ।

10. फिल्म प्रभाग को उन फिल्म/कार्यक्रम को देखने का अधिकार सुरक्षित है जिसमे गैर-थिएटर/थिएटरवाले/दूरदर्शन/ऑनलाइन/डिजिटल प्रदर्शन से पूर्व फिल्म अंश(फुटेज) के समुचित उपयोग को सुनिश्चित किया जा सके । यदि अंश(फुटेज) का उपयोग निर्माण हेतु विदेश में किया जाना है तो अंश(फुटेज) को आपूर्ति विदेश मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही की जाएगी ।

11. अंश(फुटेज) की किमत के अलावा 18% की दर से जीएसटी(या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरें)वसूल किया जायेगा । रू. 3000/- स्थानांतरण शुल्क तथा 18% जीएसटी अलग से ।

<u>अभिलेखागार फिल्म अंश(फुटेज) की आपूर्ति हेतु प्रक्रिया</u>

01. निर्धारित प्रपत्र बिक्री अनुभाग के पास/और(www.filmsdivision.org)पर उपलब्ध है । पूछताछ हेतु sales@filmsdivision.org पर मेल करे ।
02. अंश(फुटेज) की उपलब्धता के बारे में पुष्टि होने पर चयन और समय कोडिंग के लिए अभिलेखागार अनुसंधान केंद्र(10 वा तल, पहला फेज़ बिल्डिंग, फिल्म प्रभाग, भारत सरकार, 24-डॉ.जी. देशमुख मार्ग, मुंबई-400 026.)से संपर्क करें ।
03. बिक्री अनुभाग को समय-कोड जमा करना ।
04. रॉयल्टी भुगतान और स्थानांतरण (नेफ्ट/आरटीजीएस) ऑनलाइन किया जाए । बैंक विवरण संलग्न है ।
05. जारी किये गए पुर्तता आदेश के आधार पर फुटेज के स्थानांतरण हेतु खाली हार्ड डिस्क के साथ लैब अनुभाग से मिले ।

मै/हम उक्त शर्तो से सहमत है ।

आवेदक(कों) के हस्ताक्षर

वितरण प्रभारी अधिकारी
कृते महानिदेशक

(प्रपत्र)

(आवेदक के लेटर हेड पर)

अंश(फुटेज) के उपयोगिता का प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है की हम मे. ....

.... (पता) ने निचे दिए गए विवरणों के अनुसार फिल्म प्रभाग अंश(फुटेज) का उपयोग किया है :

एफडी समाचार चित्र/वृत्तचित्र(चित्रों)का नाम ....

अंश(फुटेज) ....सेकंद

ध्वनि ....सेकंद

फिल्म प्रभाग को रू...................... का भुगतान दिनांक .... को किया गया

वर्गीकरण : वृत्तचित्र/लघुफिल्म/फ़ीचर फिल्म/दूरदर्शन धारावाहिक/टेली-फिल्म/एड-फिल्म/कॉर्पोरेट फिल्म/ समाचार कार्यक्रम अन्य है (कृपया विर्निदिष्ट करें) ।

निर्माणाधीन फिल्म का नाम:- ....

उपरोक्त शीर्षक में उपयोग और केवल एक समय के लिए विशिष्ट है।

नोट:- कृपया फिल्म के सारांश को संलग्न करें ।

स्थान:- ....

दिनांक:- ....

हस्ताक्षर